प्रेस – नोट

थाना- को0 अकबरपुर जनपद- अम्बेडकरनगर

दिनांक 09.06.2026

चोरी की दो घटनाओं का सफल अनावरण, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, ₹49,030 बरामद

जनपद अम्बेडकरनगर में पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री प्राची सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री हरेन्द्र कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितीश कुमार तिवारी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में कोतवाली अकबरपुर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 09.06.2026 को उपनिरीक्षक अश्वनी सिंह, उपनिरीक्षक शैलेन्द्र चौधरी, कांस्टेबल राहुल कुमार एवं कांस्टेबल ललित सरोज द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-51/2026 एवं मु0अ0सं0-282/2026 से संबंधित अभियुक्त की तलाश एवं सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान सिझौली फ्लाईओवर (अंडरपास) के पास मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि वांछित अभियुक्त एपीएस स्कूल मोड़ के पास कहीं बाहर जाने के लिए वाहन की प्रतीक्षा कर रहा है।

सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम रामस्वरूप चौहान पुत्र ढोड़ें चौहान निवासी ग्राम पचासा मौजा ओझापुरवा, थाना ईशानगर, जनपद लखीमपुर खीरी, उम्र लगभग 55 वर्ष बताया।

तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से कुल ₹49,030 नकद बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि दिनांक 14.01.2026 को ग्राम मेंदीपुर में एक मकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें चोरी किए गए जेवरात आदि को कम कीमत पर बेच दिया गया था। उक्त धनराशि में से खर्च करने के बाद ₹32,000 शेष बचे थे, जो बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली अकबरपुर पर मु0अ0सं0-51/2026 पंजीकृत है।

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने यह भी बताया कि दिनांक 29.04.2026 को मानस नगर कॉलोनी, शहजादपुर क्षेत्र से बिजली के तार एवं अन्य सामान चोरी किया था, जिन्हें बेचकर प्राप्त धनराशि में से ₹17,030 उसके पास शेष थे। इस संबंध में थाना कोतवाली अकबरपुर पर मु0अ0सं0-282/2026 पंजीकृत है।

अभियुक्त के कब्जे से दोनों घटनाओं से संबंधित कुल ₹49,030 बरामद किए गए। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए समय 02:52 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0—

1-रामस्वरूप चौहान पुत्र ढोड़ें चौहान निवासी ग्राम पचासा मौजा ओझा पुरवा थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 55 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0- 51/ 2026 धारा 331(4)/305/317(2) वीएनएस

2-मु0अ0सं0-282/26 धारा 331(4)/305/317(2) वीएनएस

बरामदगी का विवरण—

1-मु0अ0सं0- 51/ 2026 धारा 331(4)/305/317(2) वीएनएस से सम्बन्धित 32000 रु0

2-मु0अ0सं0-282/26 धारा 331(4)/305/317(2) वीएनएस से सम्बन्धित 17030 रु0

गिरफ्तारी स्थान– APS स्कूल मोड़

- **गिरफ्तारी दिनांक –09.06.2026 समय– 02.52 बजे**
- **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ0नि0 अश्वनी सिंह

उ0नि0 शैलेंद्र चौधरी

का0 राहुल कुमार

का0 ललित सरोज